2012/00036

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्थान–राज्य : ब ना म : श्री रामदेव अग्रवाल पुत्र स्व. श्री अखेचन्द अग्रवाल निवासी रामदेव कटला, कोटगेट के अंदर,बीकानेर किस्म मुकदमा आर्म्स एक्ट (रिमाण्ड प्रकरण न्याय शाखा) मुकदमा संख्या 06/12	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आ दे श

07.02.2018

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी श्री रामदेव अग्रवाल द्वारा शस्त्र अधिनियम,1959 के तहत स्वंय के नाम से शस्त्र अनुज्ञा–पत्र जारी करने हेतु दिनांक 21.3.05 को जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर के कार्यालय में आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे दिनांक 20.4.12 को खारिज करने पर माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर में अपील संख्या 55/12 प्रस्तुत की गई, जो निर्णय दिनांक 25.10.12 से रिमाण्ड होकर इस कार्यालय में प्राप्त हुई है।

स्टेट की और से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि कार्यालय द्वारा प्रकरण पूर्व में परीक्षण हो कर आदेश दिनांक 20.4.12 से खारिज किया गया था। माननीय संभागीय आयुक्त महोदय के निर्णय की पालना में प्रकरण में सुनवाई कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने के आदेश पारित किये गये है, जिसके तहत नवीन शस्त्र नियम,2016 के परिपेक्ष्य में परीक्षण कर प्रशासनिक स्तर पर कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया जाना न्यायोचित होगा।

हमने विभागीय प्रतिनिधि के कथनो पर मनन किया व पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। शस्त्र नियमों के तहत सम्पादित की जाने वाली कार्यवाही एक प्रशासनिक कार्यवाही है। ऐसी स्थिति में हम यह उचित पाते है कि नवीन शस्त्र नियम,2016 के परिपेक्ष्य में प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा प्रकरण की जांच/परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित करें। मूल पत्रावली प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा कार्यालय हाजा को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(अनिल गुप्ता)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट,बीकानेर